चाहता हूं कि जिला परिषदें जनता पार्टी के हाथों में हैं तथा यह पार्टी सत्ता में थी। हमने इन संस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इनकी कुछ कठिनाइयां हैं। परन्तु राज्यपाल और उनके सलाहकार स्थिति को ठीक करने के लिए इन कठिनाइयों की जांच कर रहे हैं।

मैं इस संकल्प के लिए इस सभा का समर्थन चाहता हूं जिसे मैंने पहले प्रस्तुत किया है, अर्थात राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी जाए ताकि कर्नाटक में उचित समय पर विधान सभा के चुनाव कराये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कर्नाटक के संबंध में 21 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 21 अक्तूबर, 1989 से छः मास की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.03 म०प०

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि पैकेज के बारे में

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंतीस वर्ष पहले इस सदन में बोलते हुए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था :

"हम उद्योग को निश्चित रूप से महत्व देते हैं : परन्तु वर्तमान संदर्भ में हम कृषि एवं खाद्य तथा कृषि संबंधी मामलों को कहीं अधिक महत्व देते हैं।

यदि हमारा कृषि आधार सुदृढ़ नहीं है तो जिस उद्योग का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसका आधार भी मजबूत नहीं होगा। इसके अलावा, आज देश में ऐसी स्थिति है कि यदि हम खाद्य के मोर्चे पर असफल होते हैं तो अन्य हर जगह हम असफल साबित होंगे। अतः हम खाद्य के मोर्चे को कमजोर नहीं कर सकते। यदि हम अपना कृषि का मोर्चा सुदृढ़ बना लेते हैं, जैसी कि हमें आशा है, तो औद्योगिक मोर्चे पर तेजी से उन्नति करना हमारे लिए अपेक्षाकृत अधिक सरल होगा। दूसरी ओर, यदि हम औद्योगिक विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और कृषि को कमजोर हालत में छोड़ दें तो अन्ततोगत्वा हमारा उद्योग भी कमजोर होगा। यही कारण है कि कृषि और खाद्य की ओर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया गया है और मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में भारत जैसे देश में यह आवश्यक है।"

सैंतीस साल बाद हमारे लिए यह दोहराने का समय आ गया है कि हमें किसान, कृषि कर्म, खाद्य एवं कृषि को अपनी अर्थ-व्यवस्था की आधारशिला के रूप में अवश्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सैंतीस वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। अब हमें अकाल का कोई खतरा नहीं है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता के चार दशकों से अधिक समय के दौरान आनुक्रमिक सरकारों द्वारा अपनाई गई कृषि नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषि में युगांतरकारी कायाकल्प की स्थिति ला दी गई है। यह सच है कि जनता शासन की तीन वर्ष की त्रासदी के दौरान भारी आघात पहुंचा था, परन्तु इन्दिरा जी और कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर हमारी कृषिक अर्थ-व्यवस्था दोबारा सही रास्ते पर चल पड़ी है।

[श्री राजीव गांधी]

अब हमारे किसानों और खेत मजदूरों ने हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बना दिया है। उन्होंने हमें इस वर्ष खाद्यान्नों तथा अन्य अधिकांश कृषि उत्पादों का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन दिया है। उन्होंने हमें सूखे की कठिनाइयों तथा बाढ़ की तबाहियों को सहन करने का आंतरिक बल प्रदान किया है। उन्होंने हमें इज्जत एवं आत्म-सम्मान दिया है। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को पुनः प्रतिबलित किया है। वे हमारी प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति सिद्ध हुए हैं। खेती में आत्म-निर्भरता का यह आधार ही है कि हम आत्म-निर्भर, अर्थ-व्यवस्था, पूर्णतः लोकतांत्रिक स्वदेशी नीति, तथा एक स्वतंत्र विदेश नीति बना सकें हैं। यदि हम किसी वक्त खाद्य के मोर्चे पर असफल हो गए होते तो, जैसा कि पंडितजी ने कहा था, सम्पूर्ण देश एवं वह सभी कुछ कमजोर हो जाता जिसके लिए हमने संघर्ष किया। यह हमारी उल्लसित खेती के कारण ही है कि ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि देश, किसान एवं खेत मजदूर का पूर्णतः ऋणी बन गया है। पिछले नौ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में पहले की अपेक्षा तीव्र वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न कृषि उत्पादों सहित खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि आई है। यह स्वागत योग्य है। इसका अर्थ है कि जनता के पौष्टिक आहार और जीवन यापन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मांग की इस आशातीत वृद्धि को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इस प्रकार, हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए कृतसंकल्प हैं। कृषि के विकास की गति में अवश्य तेजी लाई जानी चाहिए। आमदनी एवं रोजगार पहले के मुकाबले में अधिक तेज गति से अवश्य बढ़ना चाहिए। हमारे किसान कृषि उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया से चिंतित हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषि उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन-लागत का हिसाब लगाने के तरीके में दो बड़े संशोधन लागू किए जायें। प्रथम, हम, कृषि मजदूरों के लिए राज्य द्वारा अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मजदूरी अथवा चुकता वास्तविक मजदूरी में से जो भी अधिक हो, के आधार पर मजदूरी लागत निर्धारित करेंगे।

दूसरे, हम किसान के प्रबंधकीय तथा उद्यमी दायित्व को स्पष्ट करते हुए उसके काम में आने वाले श्रम को अधिकाधिक मजदूरी के रूप में उत्पादन की लागत में शामिल करेंगे। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बुवाई से पहले ही अधिसूचित किए जाए जा रहे हैं ताकि किसान अपनी फसलों का पैटर्न तर्कसंगत रूप में निर्धारित कर सकें। तथापि, इस तरीके में घोषणा के समय तथा कटाई के समय के बीच लागतों में होने वाली वृद्धि शामिल नहीं की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सी० ए० सी० पी० को एक उपयुक्त वृद्धि सूत्र बनाने की हिदायत दे रहे हैं। इसी दौरान, खरीफ, 1989 से लेकर, काम में आने वाली सामग्री के मूल्यों में वृद्धि एवं बुवाई के समय की शुरूआत के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की जाएगी।

धान का खरीद मूल्य 175/- रु० से बढ़कर 185/- रु० प्रति क्विंटल होगा : मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का एवं रागी का 155/- रु० से बढ़कर 165/- रु०, खरीफ की दालों जैसे तूर, मूंग एवं उड़द का 400/- रु० से बढ़कर 425/- रु०, मूंगफली का 470/- रु० से बढ़कर 500/- रु०, काले सोयाबीन का 05/- रु० से बढ़कर 325/- रु० तथा पीले सोयाबीन का 350/- रु० से बढ़कर 370/- रु०, सूरजमुखी के बीज का 500/- रु०, से बढ़कर 530/- रु०, एफ-414 एवं एच-777 कपास का 540/- रु० से बढ़कर 570/- रु०, तथा एच-4 कपास का 650/- रु० से बढ़कर 690/- रु०, तथा अन्ततः पटसन (एम-5 असम की किस्म) का खरीद मूल्य 280/- रु० से बढ़कर 295/- रु० होगा। ये दरें उन किसानों पर भी लागू होंगी जिन्होंने चालू खरीफ मौसम में

अपने उत्पाद बेच दिए हैं।

कृषक समुदाय अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र के लिए व्यवसाय की शर्तों पर भी चिंतित रहा है। छठी तथा सातवीं योजनाओं में व्यवसाय की शर्तों के प्रतिकूल संचलन को कुछ हद तक सुधारा गया है। हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए व्यवसाय की अनुकूल शर्तें सुनिश्चित करेंगे।

बहुत से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी-कभी खरीद केन्द्र उनके खेतों तथा गांवों से काफी दूरी पर स्थित होते हैं। हमारा इरादा खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है ताकि, अन्ततः, खरीद केन्द्र प्रत्येक किसान के गांव से 10 किलोमीटर के भीतर हो सके। ग्रामीण सड़कों का जाल भी चरणबद्ध रूप में मजबूत बनाया जाएगा। विशेषतः वे किसान जो जल्दी खराब होने वाली कृषि पण्यों की खेती करते हैं, अक्सर अपने उत्पादन के उचित मूल्य की धनराशि से केवल इसलिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी पैदावार जल्दी खराब होने वाली होती है। इसका एकमात्र हल ग्रामीण गोदामों तथा शीत/शीतित भाण्डागारों की सुविधाओं का विस्तार करना है। इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में शीत/शीतित भाण्डागारों की सुविधाएं स्थापित करने के लिए आकर्षक शर्तों पर संस्थागत ऋण के विस्तार के लिए एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

कृषि समुदाय की ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है। हम इसके लिए चार विशिष्ट उपाय प्रस्तावित करते हैं। पहला, हमें सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को उपलब्ध न हो रहे ऋण की समस्या का अवश्य समाधान करना चाहिए क्योंकि जिन सहकारी संस्थाओं से वे संबंधित है, वे नाबार्ड के पुनर्वितीयन की पात्र नहीं रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए पहले उपाय के रूप में हमने आगामी रबी मौसम से सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये के ऋण की विशेष संख्या निर्दिष्ट करने का निर्णय किया है। यह ऋण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। दूसरा अल्पावधिक उत्पादन ऋण के वित्त-पोषण की राशि को वार्षिक रूप से परिशोधित किया जाएगा ताकि किसान को उपलब्ध करवाये गए ऋण से उसकी खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान कीमतों पर अनुशंसित राशि को पूर्णतः काम में लगाया जा सके।

तीसरा, जल विभाजन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षा पर आधारित कृषिकारी क्षेत्रों के किसानों के लिए एक विशेष ऋण तंत्र चालू किया जा रहा है। नया तंत्र तीन से पांच वर्ष की अवधि में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आधार पर चालू होगा ताकि ऐसे क्षेत्रों में किसी एक अवधि के दौरान आने वाले पर्याप्त और अपर्याप्त मानसून वाले वर्षों के सहज जोखिम को संतुलित किया जा सके। विशेष ऋण तंत्र में एक आवर्तक अवधि में उत्पन्न होने वाली अतिदेय राशियों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि लाभकारी फसल उत्पादन और अन्य सम्बद्ध कार्यों की सहायता के लिए पर्याप्त ऋण का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके। इस तंत्र को वर्षा आश्रित कृषिकारी क्षेत्रों में जल-विभाजन विकास के बड़े कार्यक्रम द्वारा पुनः सशक्त बनाया जाएगा।

चौथा उपाय जिसे हम प्रस्तावित करते हैं, वह अवश्य प्रक्रियात्मक है, परन्तु वह किसान को अपनी आवश्यकताओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने के नाते तत्काल मान्य होगा। किसानों को पास बुकें और कृषि ऋण-पत्र दिए जायेंगे ताकि सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों से आसानी से उत्पादन ऋण प्राप्त किया जा सके।

[श्री राजीव गांधी]

राष्ट्रीय कृषि ऋण सहायता निधि से भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्पादन की विशिष्टताओं और भारी क्षति पर आधारित एक विस्तृत राहत नीति तैयार होगी। ऋणों के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण तथा सुस्पष्ट परिस्थितियों में सूद और मूलधन की छूट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। यद्यपि हम भूमि सुधार और सिंचाई में भारी पूंजीनिवेश कर चुके हैं, फिर भी भूमि तथा जल संसाधनों का हमारा प्रबंध इतना खराब रहा रहा है कि लाभ प्राप्ति इष्टतम प्राप्तव्य की अपेक्षा बहुत कम हुई है। हम अपनी भूमि और जल संसाधनों के प्रबंध को बेहतर बनाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव करते हैं।

अगले पांच वर्षों में नहर परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में एक करोड़ अतिरिक्त भूमि में एक सुनिश्चित आधार पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए सुनिश्चित मात्रा में और ठीक समय पर पानी पहुंचाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख ट्यूबवैलों, खुदाई के कुओं का निर्माण भी किया जाएगा और प्रति वर्ष पांच लाख हैक्टेयर भूमि को गांवों के तालाबों, बील्लों, बांधों और पोखरों को साफ करने और उनका रख-रखाव करने के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। दूसरे, असिंचित भूमि की उत्पादकता को कारगर जल-विभाजन विकास और इन-सीटू नमी परीक्षण द्वारा बढ़ाया जाएगा। अगले पांच वर्षों के दौरान 50 लाख हैक्टेयर भूमि में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

तीसरा, प्रतिवर्ष 25 लाख हेक्टेयर की दर से 25 लाख हेक्टेयर ऊसर और बारानी भूमि का सुधार किया जाएगा। हमें इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आठवीं योजना के आरम्भ होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी वर्ष ही इसकी शुरूआत की जानी चाहिए। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्लास्टिकल्चर में अत्यधिक सम्भाव्यता है। विशेषकर सिंचाई, भंडारण और पैकेजबंदी में प्लास्टिक के अनेक उपयोग हैं।

प्लास्टिक संबंधी वर्तमान योजनाओं में पर्याप्त विकास किया जाएगा।

सभी किसानों को स्प्रिंक्लर अथवा ड्रिप सिंचाई प्रणाली की संस्थापना के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्लभ जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक लाख अतिरिक्त स्प्रिंक्लर प्रणालियों और एक लाख ड्रिप सिंचाई प्रणालियों की स्थापना की जाएगी।

अधिकाधिक कृषि उत्पादन का मूल आधार अच्छे बीज है। नई बीज नीति कार्यान्वित की जा रही है और बनाए जा रहे सुरक्षित भंडार से किसानों को उत्तम किस्म के बीज और पौध-रोपण सामग्रियां उचित मूल्य पर सुलभ होंगी। हमें लघु, सीमांत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों की विशेष चिंता है। रबी 1989-90 से ऐसे 20 लाख किसानों को वर्तमान केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अधीन बेहतर बीजों की आपूर्ति के लिए मिनीकिट उपलब्ध कराए जायेंगे। कृषि अनुसंधान पर आवश्यक ध्यान अथवा प्राथमिकता नहीं दी जा रही। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन कर रहे हैं और मैं इसके प्रेजिडेंट पद का कार्यभार संभालूंगा। हमारे ध्यान में दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, हमारा प्रस्ताव 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों के प्रत्येक उपक्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में हम अपनी कृषि को आधुनिक बना सकें। दूसरा, संकर किस्म के अनुसंधान और विकास के लिए एक विशेष समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है है जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास और तिलहन शामिल होंगे। इनके परिणाम

पांच वर्षों के अन्दर मांगे जायेंगे और अनुसंधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण उच्चतम स्तर पर किया जाएगा। कृषि मशीनों और बेहतर डिजाइन के विशेषकर नए और अधिक कारगर सामग्रियों का प्रयोग करने वाले औजार के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्माण और ऐसे मशीनों और औजारों के विपणन तथा मशीनों और औजारों, पौध संरक्षण उपस्कर और स्प्रिंक्लरों को पट्टे अथवा किराए पर देने के लिए ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक विशेष निधि स्थापित की जा रही है।

प्राथमिक उपज का मूल्य बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए भी कृषि पर आधारित उद्योगों, विशेषकर खाद्य संसाधन उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उपयुक्त क्षेत्रों में फलों और सब्जियों के विकास और संसाधन के लिए एक विशेष विस्तार और अवसंरचनात्मक एकमुश्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। औद्योगिक एककों को लघु उत्पादकों के साथ व्यक्तिगत अथवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ठेके करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ग्रामीण आर्थिक कार्य के विविधीकरण के लिए सभी तटीय जिलों में मत्स्यपालन और जलजीवपालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन विकास एजेंसियां स्थापित की जा रही हैं। मुर्गी के सस्ते चारे सहित अंडे के मूल्यों के सुस्थिरीकरण के लिए विपणन समर्थन, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मुर्गीपालन फार्मों से सम्बद्ध संसाधन संकुल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने और संसाधित मुर्गीपालन उत्पादों के निर्यात के लिए समर्थन देने सहित मुर्गीपालन विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कृषि में एक मुख्य निर्यात क्षेत्र बनने की संभावना है। हमारे किसानों को कृषि उत्पादों को लाभकारी निर्यात बाजारों से जोड़ने से लाभ प्राप्त होगा। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए, निर्यातयोग्य जिन्सों के उत्पादन के आधार तथा गैर-पारम्परिक कृषि निर्यातों की सीमा को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन देने का हमारा प्रस्ताव है।

इस संबंध में, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हमने बंगाल देशी कपास की एक लाख गांठों और ज्यादा लम्बे रेशेवाली कपास की दो लाख गांठों का निर्यात करने की अनुमति देने का निश्चय किया है। जहां तक कृषि पण्यों की निर्यात नीति का संबंध है, उन्हें इस प्रकार विनियमित किया जाएगा ताकि हमारे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

इस एकमुश्त योजना के समर्थन के लिए प्रमुख संस्थागत सुधार अपेक्षित हैं। इस विषय में दो प्रमुख कार्यक्रम हमारे हाथ में हैं। पहला हम भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने और संगणकीकृत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ताकि किसान मांगने पर प्रलेखन प्राप्त कर सकें। दूसरा हम सहकारी आंदोलन, को सुधारने, नवीयन करने और पुनः सशक्त बनाने का प्रस्ताव करते हैं जो देश के बहुत से भागों में और कई तरीकों से वह अहम भूमिका निभाने में असफल रहा है, जिसकी हमारी सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की नीति में सहकारी आंदोलन के लिए परिकल्पना की गई थी। यह हमारे अगले कार्यकाल के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाने वाला कार्य है। कृषि के हित में राष्ट्र का हित है। कृषि विकास और राष्ट्रीय विकास में कोई अंतर नहीं है। पहली वस्तु दूसरी का आधार है। हमें विश्वास है कि जिन कृषि पैकेज को मैं अब सदन के सामने रख रहा हूं उससे हमारे कृषि समुदाय के लिए एक उज्ज्वल नए युग का शुभारम्भ होगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो इतनी अच्छी नीति के बारे में मैं हमारे सब किसानों की ओर से 2—4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। सारे देश के किसानों की ओर से राजीव जी, आप को बधाई और देश के इतने बड़े किसान की अध्यक्षता